



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-03102026-276760
CG-CG-E-03102026-276760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5037]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5037]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 15 सितम्बर, 2026

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क के अंतर्गत अधिसूचना

का.आ. 5244(अ).— रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क की उपधारा (1) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना "खरसिया – नया रायपुर– परमलकसा 5वीं एवं 6वीं लाइन (278 कि. मी.)" दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के निष्पदान के लिए छत्तीसगढ़, राज्य के जिला रायगढ़ में आवश्यक है, एतद् द्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त, अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ खरसिया जिला— रायगढ़, छत्तीसगढ़, को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायें तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, तो करने के पश्चात जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा, इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि या रेखांकन एवं अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

“खरसिया – नया रायपुर– परमलकसा 5वीं एवं 6वीं लाइन (278 कि. मी.)” परियोजना के निर्माण के लिए, रायगढ़ जिले के अंतर्गत, अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण—

जिले का नाम रायगढ़

(छत्तीसगढ़ राज्य)

क्र. सं.	तहसील	गाँव का नाम	खसरा/ प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	खरसिया	औरदा	107/9	0.101
			कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =	0.101
2	खरसिया	चारपारा	20/4	0.020
3			34/3/ख/2	0.051
4			28/2	0.012
			कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =	0.083
5	खरसिया	बड़े देवगांव	695/7	0.032
6			696/1ढ	0.081
			कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =	0.113
7	खरसिया	महका	99/2	0.093
			कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =	0.093
8	खरसिया	हालाहुली	98/2	0.016
9			98/3	0.073
			कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =	0.089
10	खरसिया	भागोडीह	164/1/ख	0.061
			कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =	0.061
11	खरसिया	पुरैना	29/5/ख	0.253
12			111/7	0.0101
			कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =	0.2631
			सम्पूर्ण क्षेत्रफल हेक्टेयर में = 0.8031	

[फा. सं. डीसीई/सी/आरआईजी/5वीं एवं 6वीं/केएचएस-पीएमएस/20/क/KHS/3]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(South East Central Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 15th September, 2026

Notice Under Section 20A of the Railway Act, 1989

S.O. 5244(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the execution of Special Railway Project, namely construction of “Kharsia-Naya Raipur-Parmalkasa 5th and 6th Line of South East Central Railway (278 Km)” in Raigarh district in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official gazette raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the Competent Authority namely **Sub Divisional Officer (Revenue), Kharsia, Dist.- Raigarh**, Chhattisgarh, in writing and shall set out grounds thereof and the competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority for Land Acquisition (CALA).

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely construction of “Kharsia-Naya Raipur-Parmalkasa 5th and 6th Line of South East Central Railway (278 Km)” in **Raigarh** District in the state of Chhattisgarh.

Name of the District Raigarh**(Chhattisgarh State)**

No.	Tehsil	Name of village	Khasra/ Number	Area (in hectares)
1	Kharsia	Aurda	107/9	0.101
			Total area in hectares =	0.101
2	Kharsia	Charpara	20/4	0.020
3			34/3/B/2	0.051
4			28/2	0.012
			Total area in hectares =	0.083
5	Kharsia	Bade Deogaon	695/7	0.032
6			696/10	0.081
			Total area in hectares =	0.113
7	Kharsia	Mahka	99/2	0.093
			Total area in hectares =	0.093
8	Kharsia	Halahuli	98/2	0.016
9			98/3	0.073
			Total area in hectares =	0.089
10	Kharsia	Bhagodih	164/1/B	0.061
			Total area in hectares =	0.061
11	Kharsia	Purena	29/5/B	0.253
12			111/7	0.0101
			Total area in hectares =	0.2631
			Total area in hectares =	0.8031

[F. No. DCE/C/RIG/5th and 6th/KHS-PMS/20/A/KHS/3]

Mudit Bhatnagar, Chief Administrative Officer (Con.)